Azim Premji Philanthropic Initiatives

phia to end poverty

झारखण्ड ग्राम स्वशासन अभियान हेतू

ग्राम सभा सचिवालय मार्गदर्शिका

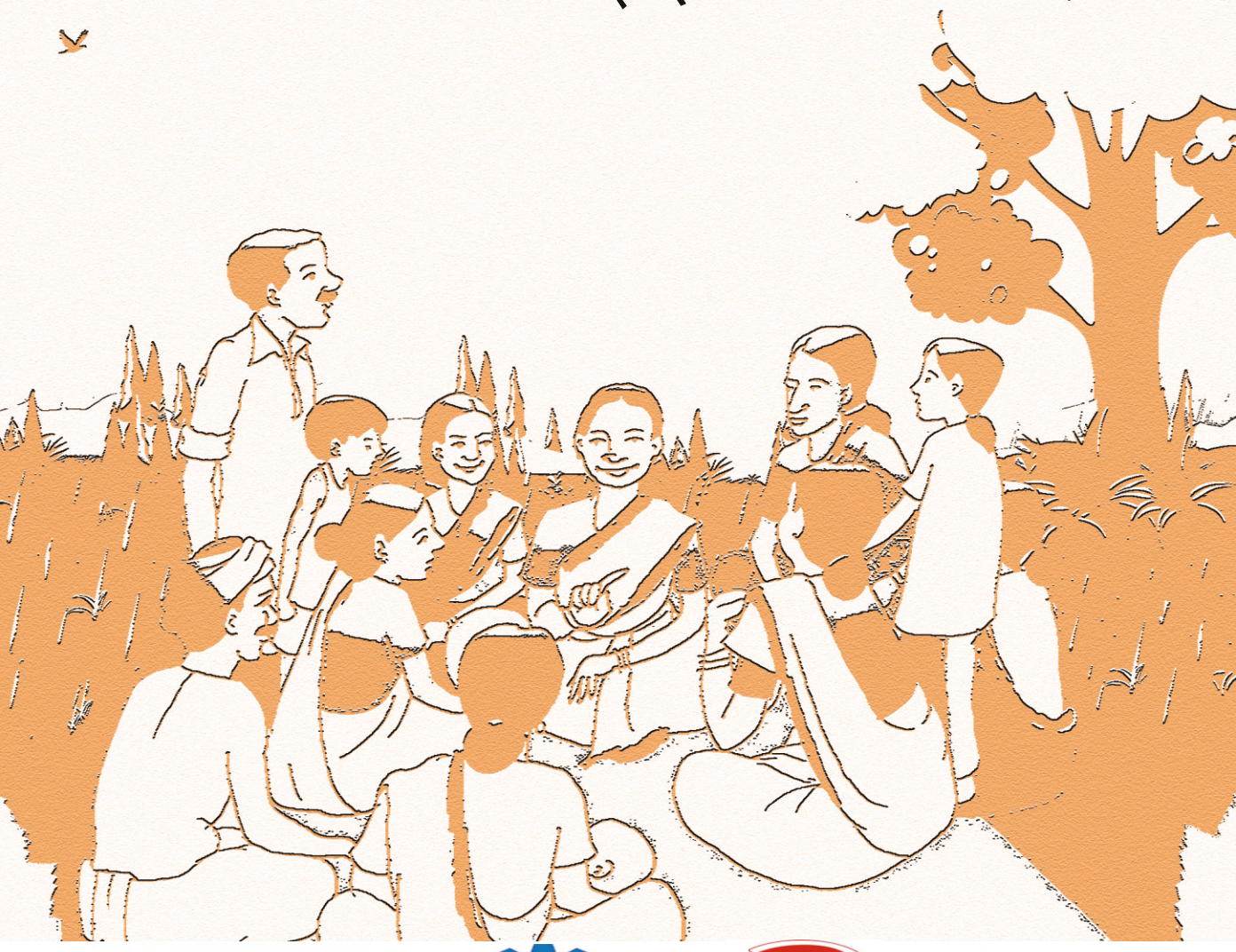

संवाद SAMVAD

AROUSE

ASRA

LOK JAGRITI KENDRA

मार्गदर्शिका लेखन
फिया टीम

प्रकाशक : फिया फाउंडेशन
प्रकाशन वर्ष : 2018

सहयोग : अज़ीम प्रेमजी फिलान्थ्रोपिक इनिशिएटिव प्राईवेट लिमिटेड

मुद्रक : नियोन इंटरप्राइजेज

परिचय

यह मार्गदर्शिका फिया फाउंडेशन एवं सहयोगी संस्थानों के सुनियोजित एवं साझा प्रयास का परिणाम है। यह मार्गदर्शिका ग्राम स्वशासन अभियान से जुड़े परियोजना दल के कार्य को सहज एवं सरल बनाने के लिए तैयार की गई हैं।

फिया फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो सामाजिक बहिष्कार और गरीबी उन्मूलन के मुद्दो पर काम करती है। फिया फाउंडेशन नियंत्रित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी ग्रामीणो, जनजातियों एवं आदिम जनजातियों के विकास के लिए कई परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन कर रही है।

फिया फाउंडेशन ने एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) के साथ इस कार्यक्रम पर साझेदारी की है, जो स्थानीय लोकतंत्र को स्वशासन की संस्था बनाने और उन्हें मजबूत करने पर केंद्रित हैं। इसे झारखंड के जामताड़ा, गुमला और पश्चिम सिंहभूम जिलों के 3 ब्लॉक के 40 पंचायत के 358 गाँवों में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में कार्यान्वित किया जाएगा।

एपीपीआई (अजीम प्रेमजी फिलैन्थ्रोपिक इनिशिएटिव) इस कार्यक्रम को झारखंड के अलावा उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात एवं राजस्थान में क्रियान्वित कर रही हैं।

ग्राम स्वशासन अभियान स्थानीय प्रशासन प्रणाली और स्थानीय संसाधनों के प्रबंधन में ग्राम सभा के लिए एक बड़ी भूमिका के रूप में एक अवसर प्रदान करेगी।

हमें पूर्ण विश्वास है की यह मार्गदर्शिका परियोजना को संगठित रूप देने में परियोजना दल के लिए मददगार होगी।

विषय सूची

क्र.स.	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1	परिचय	
2	ग्राम सभा सचिवालय की आवधारणा एवं रूपरेखा	1
3	ग्राम सभा सचिवालय की स्थापना	2–3
4	ग्राम सभा सचिवालय के मुख्य कार्य, ग्राम सभा सचिवालय का संचालन	4
5	ग्राम कोष की स्थापना, ग्राम कोष का संचालन	5

ग्राम सभा सचिवालय की आवधारणा एवं रूपरेखा

ग्राम सभा को पेसा, पंचायती राज, मनरेगा, वन अधिकार, ग्रामीण न्यायालय, भूमि अधिग्रहण अधिनियमो के अन्तर्गत कई विस्तृत अधिकार एवं दायित्व दिये गए हैं। झारखण्ड में पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत तीन स्तरों–जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं पंचायत स्तर में सचिवालयों की स्थापना हो चुकी है और जिस तरह लोकसभा, विधानसभा, जिला परिषद्, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का अपना सचिवालय होता है, उसी तरह ग्राम सभा की भी अपनी सचिवालय होनी चाहिए।

ग्राम सभा एक बुनियादी संवैधानिक स्वशासन व्यवस्था है। यह अपने अधिकारो एवं दायित्वों का निष्पादन करने हेतू सरकार से पर्याप्त बुनियादी संरचना (सचिवालय भवन), अन्य संसाधन एवं फण्ड प्राप्त करने का हकदार है, परन्तु ग्राम सभा स्तर पर सरकार के द्वारा अब तक इस मुद्दे पर कोई पहल नही किया गया है। इसलिए सरकारी स्तर पर ग्राम सभा सचिवालय की स्थापना संबंधी एवं संरचना से संबंधित कोई दिशा–निर्देश प्राप्त नहीं है। अतः ग्राम सभा सशक्तीकरण परियोजना में यह ग्राम सभा सचिवालय गठित करने की परिकल्पना प्रयोग के तौर पर करने का प्रस्ताव है। चूकि इसके लिए सरकार के ओर से कोई प्रावधान नहीं है, अतः कम खर्च पर एक ग्राम सभा सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव है।

ग्राम सभा की जिम्मेदारी है कि अपने सचिवालय की स्थापना के लिए हर संभव प्रयास करे। इसके लिए प्रत्येक गाँव को अपने ग्राम विकास योजना में इस माँग को शामिल करना चाहिए। फिर भी जब तक सरकारी फण्ड से सचिवालय का निर्माण नहीं होता है अथवा अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं होता है, तब तक ग्राम सभा अपने स्तर से पंजियों, फाइलों, लेटरपैड, ग्राम विकास से संबंधित जरूरी दस्तावेजों का संग्रह, बक्सा आदि से सचिवालय प्रारंभ कर सकते हैं। अगर गाँव में कोई अनुपयोगी सरकारी भवन पड़ा हो, तो इसका इस्तेमाल ग्राम सभा में संकल्प पारित एवं संबंधित विभाग को सूचित कर ग्राम सभा सचिवालय के रूप में किया जा सकता है।

ग्राम सभा सचिवालय की स्थापना

ग्राम सभा सचिवालय की स्थापना में निम्न की आवश्यकता है :

1. भौतिक व्यवस्था
2. मानव संसाधन
3. दस्तावेजों का संग्रह
4. स्टेशनरी

1. **भौतिक व्यवस्था :** इसमें एक कमरा, फर्नीचर, कुर्सी टेबल, बक्सा, दरी आदि हो सकते हैं।

2. **मानव संसाधन :** ग्रामसभा अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष आदि हो सकते हैं। इन सभी लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करना एवं समय–समय पर सहयोग कि आवश्यकता होगी।

3. **दस्तावेजों का संग्रह :** गाँव का नक्शा, गाँव के वोटरों की सूची, प्रमुख विकास एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की प्रति, पेसा, पंचायती राज, मनरेगा वन अधिकार, भूमि अधिग्रहण, ग्राम न्यायालय आदि अधिनियमों का सरांश या प्रति एवं अन्य जरूरी दस्तावेज।

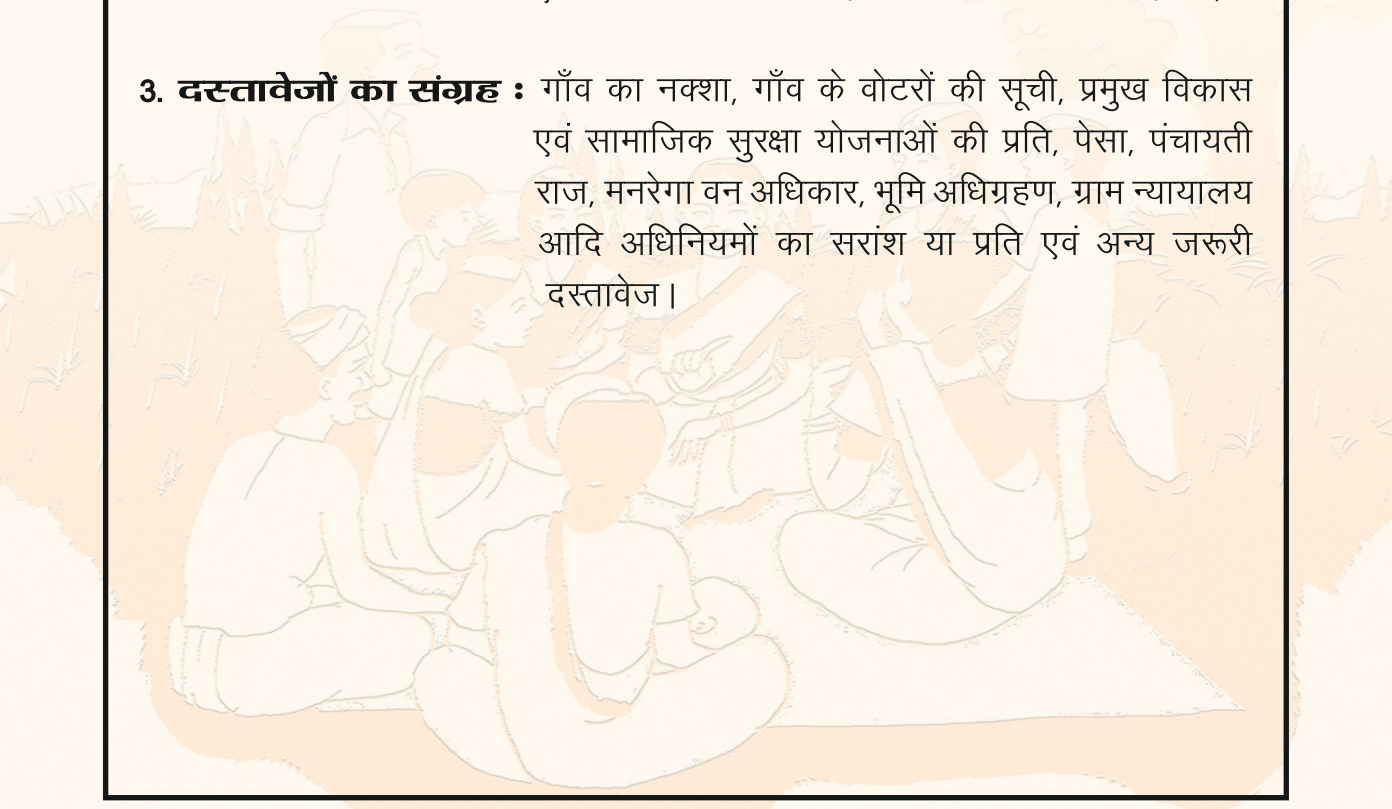

4. **स्टेशनरी :** इसमें पंजियाँ, फाइल, पेन, पेन्सिल, कलकुलेटर, स्टेप्लर, स्टांप पैड आदि समान की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सचिवालय में निम्न पंजियों का होना आवश्यक है :–

- ग्राम सभा बैठकी कार्यवाही पंजी (01 No.)
- ग्राम कोष पंजी (01 No.)
- स्थायी समितियों की बैठक पंजी (08 No.)
- हिसाब–किताब पंजी (01 No.)
- ग्राम सभा संपत्ति पंजी (01 No.)
- जाति प्रमाण निर्गत पंजी (01 No.)
- आय प्रमाण पत्र पंजी (01 No.)
- स्थानीय प्रमाण पत्र पंजी (01 No.)
- शादी–व्याह पंजी (01 No.)
- जन्म–मृत्यु का पंजी (01 No.)
- गाँव के परिवारों की सूची पंजी (01 No.)
- गाँव के अत्यंत गरीब एवं वंचित परिवारों की सूची पंजी (01 No.)
- सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभुकों की पंजी (01 No.)
- ग्राम सभा लैटरपैड, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का मोहर, आदि।

ग्राम सभा सचिवालय के मुख्य कार्य

- ग्राम सभा सचिवालय एक कार्यालय की तरह कार्य करेगा। इस कार्यालय के काम करने की समय–सारणी ग्राम सभा द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- टोला/ग्राम से जुड़ी जानकारियों को सचिवालय में विभिन्न रजिस्टरों में दर्ज करना एवं उसका रख–रखाव करना।
- ग्राम सभा की ओर से सरकारी तंत्र एवं कर्मचारियों के साथ पत्राचार करना।

ग्राम सभा सचिवालय का संचालन

ग्राम सभा सचिवालय को चलाने के लिए एक ग्राम सभा के स्तर पर एक कार्यकारिणी समिति का गठन होना चाहिए, जिसमें निम्न सदस्य हो सकते हैं :

- ग्राम सभा अध्यक्ष
- ग्राम सभा सचिव
- ग्राम सभा कोषाध्यक्ष
- स्थायी समितियों के एक–एक अध्यक्ष (08 सदस्य)
- युवा प्रतिनिधि (01)
- महिला प्रतिनिधि (01)
- आदिम जनजाति, आदिवासी समूह का प्रतिनिधि (यदि उस ग्राम/टोला में आदिम आदिवासी के परिवार हों) (01)

कार्यकारिणी समिति अपने बैठकों का समय, अंतराल स्वयं तय करेगी, और इसकी प्रमुख जिम्मेदारी ग्राम सभा सचिवालय को सुचारू रूप से चलाना है।

ग्राम कोष की स्थापना

ग्राम सभा भी एक संस्था है और इस पर ग्राम स्वशासन का संचालन की बड़ी जिम्मेदारी है। अतः ग्राम सभा बिना निधि (बजट) के कार्य नहीं कर सकता है। संवैधानिक स्वशासन इकाई होने के नाते ग्राम सभा को सरकार की तरफ से निधि उपलब्ध कराना चाहिए, परन्तु वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में ग्राम सभा को संचालित करने के लिए ग्रामीण स्वयं ही निर्णय लेकर आय के श्रोत का निर्माण कर सकते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा एक निधि स्थापित कर सकेगी जो निम्नलिखित चार भागों से मिलकर ग्राम कोष कहलाएगा :

i- अन्न कोष
ii- श्रम कोष
iii- वस्तु कोष
iv- नगद कोष

जिसमें निम्नलिखित जमा होंगे :

(क) दान
(ख) प्रोत्साहन राशि
(ग) अन्य आय

गाँव के विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ग्राम सभा द्वारा ग्राम कोष का प्रयोग किया जा सकता हैं। प्रयोग से पूर्व, पूरा विवरण ग्राम सभा के पंजी में प्रविष्ट किया जाएगा, तथा बैठक में सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा आय और व्यय के संबंध में अभिलेख रखेगा और अगला वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के पूर्व वार्षिक बैठक में समीक्षा करेगा।

ग्राम कोष का संचालन

ग्राम कोष का संचालन में पूरी पारदर्शिता एवं ईमानदारी बरतना चाहिए। ग्राम कोष का खाता ग्राम सभा के निर्णय से किसी पास के बैंक में खोलना चाहिए। साथ ही ग्राम कोष का संचालन अध्यक्ष/सचिव एवं कोषाध्यक्ष के द्वारा होना चाहिए। कोषाध्यक्ष का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिए।

Note

ग्राम स्वशासन अभियान

साझा प्रयास, सशक्त प्रयास, सही ग्राम विकास

आओ शपथ लें...

* ग्राम सभा में उपस्थित होंगे।
* ग्राम सभा में अपनी समस्याएं और मुद्दे रखेंगे और चर्चा करेंगें।
* ग्राम सभा में सवाल पूछेंगे।
* ग्राम सभा में फैसलों में भागीदारी करेंगें।
* ग्राम सभा में लिखे गए निर्णयों को पढ़वाकर सुनेंगे।
* ग्राम सभा में हस्ताक्षर करेंगें।
* गाँव की शिशु, किशोरी और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य, स्वच्छता का ध्यान रखेंगें।
* गाँव की सार्वजनिक सेवाओं जैसे आंगनवाड़ी, राशन दुकान, स्कूल, उप स्वास्थय केन्द्र आदि की समीक्षा एवं निगरानी करेंगें और उनमें आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करेंगें।
* वन ग्रामों, पुरानी बस्तियों, असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* परंपरागत रूप से जंगल से प्राप्त होने वाले संसाधनों जैसे जड़ी-बूटी, जानवर, फल फूल, पेड़, मिट्टी, पानी आदि का उपयोग एवं सुरक्षा करेंगें।
* जल संरक्षण व प्राकृतिक संसाधनों का विकास करके आजीविका सुरक्षा की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* ग्रामीण सहभागिता से गांव के विकास के लिए वार्षिक कार्य योजना बनायेंगे।
* प्राथिमीकीकरण करके गाँव के वंचित परिवारों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।
* योजना क्रियान्वयन किए जाने पर निगरानी करेंगें ।
* गाँव में शिक्षा, रोजगार, शुद्ध पेयजल, स्वच्छता और सामाजिक रूढ़ियों की विकास की ओर कदम बढ़ायेंगें।

जन, जल, जंगल और जमीन हो ग्राम सभा के अधीन।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें :

फिया फाउंडेशन

अरण्य विहार, गली न० – 01,
नियर लाल गुटूवा
अपोजिट कंचन पेट्रोल पंप
दलादली रिंग रोड
राँची, झारखण्ड – 835303